

फार्म 'क'

भाग - 1

(प्रस्तावक द्वारा भरे जाने के लिए)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने सम्बन्धी फार्म परियोजना का विवरण:-

1.

- | | |
|---|--|
| (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण | - जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाही कलां तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
शासनादेश संख्या - 341/111(2)/17-23 (एम०एल०ए०)/2007, दिनांक 02.06.2017 |
| (ii) 1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | - संलग्नक - 7 पर संलग्न है। |
| (iii) परियोजना की लागत | - रु० 90.20 लाख |
| (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य | - स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु। |
| (v) लागत लाभ विश्लेषण | - उक्तानुसार |
| (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है | - पर्यटन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार पैदा होंगे। स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद मण्डी तक पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध होगी। स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु। |

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण

- | | | |
|---|---|---------------|
| (i) परिवारों की संख्या | - | कोई नहीं |
| (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | - | कोई नहीं |
| (iii) पुर्नवास योजना | - | आवश्यकता नहीं |

4. क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गम मंजूरी आवश्यक है ? - नहीं

5. प्रति पूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण, दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता। - संलग्नक - पर संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का व्योरा - संलग्न है।

स्थान :- ऋषिकेश

दिनांक :- 11/05/2018

सहायक अभियन्ता

ओ० खण्ड लो०नि०वि०

ऋषिकेश

(बलराम मिश्रा)

अधिशाली अभियन्ता

ओ० खण्ड लो०नि०वि०

ऋषिकेश